Ph. & Fax : 01364-233207 email :cdrudraprayag@gmail.com,

कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक 4713 / वनभूमि / 157 दिनांक 21-10-2022

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रूद्रप्रयाग।

विषयः रूद्रप्रयाग नगर में जल शोधन संयत्र के निर्माण हेतु 0.09 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में। **PROPOSAL No.- FP/UK/WATER/149873/2021**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 899/12–1(2) दिनांक 13.09.2022 के सन्दर्भ में आप द्वारा अवगत कराई गई कमियों का निराकरण आख्या निम्नानुसार प्रेषित किया जा रहा है।

क0सं0	कमियां	आख्या
1	उक्त सन्दर्भित पत्र के विषय में परियोजना का सम्पूर्ण नाम एवं प्रभावित कुल क्षेत्रफल अंकित नहीं किया गयाहै। अतः उपरोक्तानुसार पत्र में परियोजना का सम्पूर्ण नाम व प्रस्ताव संख्या एवं प्रभावित कुल क्षेत्रफल अंकित करते हुए 03 बिन्दुओं पर संशोधित आख्या प्रेषित करें।	03 बिन्दुओं की संशोधित आख्या निम्न प्रकार से प्रेषित की जा रही है।

क्र0 सं0	Agenda Item No. 2	विभागीय आख्या
1	The Detaild information regarding the existing structure is required to be submitted.	रूद्रप्रयाग नगर हेतु पूर्व निर्मित पेयजल योजना लगभग वर्ष 1964–65 में निर्मित हुई थी। जिसके अन्तर्गत 0.5 एम0एल0डी0 क्षमता का WTP निर्मित किया गया था। वर्तमान में रूद्रप्रयाग नगर की डिजाइन जनसंख्या हेतु जल मांग के अनुसार 3.5 एम0एल0डी0 अशुद्ध जल के शोधन हेतु वाटर ट्रीटमेंट प्लाण्ट की आश्यकता है। जिसके कारण पूर्व निर्मित फिल्टर प्लाण्ट आवश्यक जल मॉग के अनुरूप क्षमता कम होने के कारण कार्यकारी नहीं है एवं नगरीय क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता है। वर्षा काल में आवश्यक जल मांग के अनुसार फिल्टर प्लाण्ट न होने के कारण गंदे जल की समस्या और बढ़ जाती है। जिस कारण नए फिल्टर प्लाण्ट का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया है।
2	The User Agency shall submit an indertaking mentioning that no change would be made in the existing old structure.	प्रस्तावित नये फिल्टर प्लाण्ट के निर्माण के पश्चात पूर्व निर्मित फिल्टर प्लाण्ट अपनी क्षमता अनुरूप कार्य करेगा। जिस कारण पूर्ण निर्मित स्ट्रक्चर को भी नए फिल्टर प्लाण्ट के साथ प्रयोग में लाया जाना प्रस्तावित है। अतः पूर्व निर्मित फिल्टर प्लाण्ट को ध्वस्त नहीं किया जाना है, अपितु यथावत रखते हुए प्रयोग में लाया जाना प्रस्तावित है। **(प्रमाण पत्र संलग्न)**
3	A revised KML file is required to be uploaded after excluding the area on which the existing old structure is standing.	परिवेश पोर्टल पर पूर्व निर्मित फिल्टर प्लाण्ट का Existing area के0एम0एल0 फाईल में अलग से दर्शाकर अपलोड किया गया है।

AE Sir Letter Pad

"जल संचय– जीवन संचय" "कृपया जल स्त्रोतों को प्रदुषित होने से बचाईये।"
वैधानिक चेतावनी – जल स्त्रोतों को प्रदुषित करना दण्डनीय अपराध है।

2	उक्त पत्र के बिन्दु सं0 1 पूर्व निर्मित फिल्टर प्लाण्ट एवं बिन्दु संख्या 02 पूर्व निर्मित फिल्टर प्लाण्ट में परिर्वतन न किये जाने से सम्बन्धित बचनबद्धता प्रमाण पत्रों को केवल एक–एक हार्ड प्रति में संलग्न किया गया है तथा संलग्नकों का पत्र में कही भी उल्लेख नहीं किया गया है। आप विदित है कि संशोधित संलग्नकों का पत्र में उल्लेख करने के उपरान्त मूल सहित 05 कलर प्रतियों में प्रेषित किया जाता है। अतः उक्त संलग्नकों को ऑन लाइन अपलोड करते हुये मूल सहित 05 कलर प्रतियों में प्रेषित किया जाय।	बिन्दु संख्या 01 पूर्व निर्मित फिल्टर प्लाण्ट की Detailed information एवं बिन्दु सं0 02 पूर्व निर्मित फिल्टर प्लाण्ट के परिर्वतन न किये जाने से सम्बन्धित बचनबद्धता प्रमाण पत्रों की मूल प्रति सहित 05 कलर प्रतियों में प्रेषित किया जा रहा है।
3	उक्त सन्दर्भित पत्र के बिन्दु संख्या–3 आख्या वाले कॉलम में अंकित किया गया है कि Existing area दर्शाकर अपलोड कर दिया गया है। किन्तु यह उल्लेख नहीं किया गया है कि Existing area किसमें दर्शाकर अपलोड किया गया है, तथा कहां अपलोड किया गया है।	परिवेश पोर्टल पर पूर्व निर्मित फिल्टर प्लाण्ट का Existing area के0एम0एल0 फाईल में अलग से दर्शाकर अपलोड कर दिया गया है।
4	पोर्टल पर के0एम0एल0 फाईल की जांच करने पर पाया गया कि पूर्व में निर्मित फिल्टर प्लाण्ट से प्रभावित क्षेत्रफल को घटाकर संशोधित के0एम0एल0 फाईल नहीं बनाई गई है। अतः पूर्व में निर्मित फिल्टर प्लाण्ट से प्रभावित क्षेत्रफल को घटाकर उक्त परियोजना के निर्माण हेतु कुल प्रभावित क्षेत्रफल की संशोधित के0एम0एल0 फाईल एवं डिजिटल/टोपोशीट मानचित्र तैयार कर परिवेश पोर्टल पर अपलोड करते हुये हार्ड प्रति में प्रस्तुत करें।	दिए गए निर्देशानुसार पूर्व में निर्मित फिल्टर प्लाण्ट से प्रभावित. क्षेत्रफल को घटाकर परियोजना निर्माण हेतु कुल प्रभावित क्षेत्रफल की संशोधित के0एम0एल0 फाइल एवं डिजिटल/टोपोशीट मानचित्र तैयार कर परिवेश पोर्टल पर अपलोड़ कर हार्ड प्रति ~~में~~ प्रस्ताव के साथ संलग्न कर प्रेषित कर दी गई है। (संलग्न डिजिटल व जियोरेफ्रेन्स मैप)

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(नवल कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि :– सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता

"जल संचय– जीवन संचय" "कृपया जल स्त्रोतों को प्रदुषित होने से बचाईये।"
वैधानिक चेतावनी – जल स्त्रोतों को प्रदुषित करना दण्डनीय अपराध है।